

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/167
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00166
CICOM/R/2016/00279

दिनांक: 29.04.2016

अपीलकर्ता : श्री धर्मेश अरोड़ा,
सी-390, निकट चाणक्य मार्ग,
छज्जु पुर, दिल्ली - 110032.

निर्णय की तारीख: 29.04.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	25.02.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	01.03.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. एल. गुप्ता
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.04.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	125920/04.04.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	202/05.04.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से डाक विभाग द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को लिखे गए पत्र सं. J-2/RTI-01/2014-15 दिनांक 11.08.2015 के संबंध में 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, अपीलकर्ता से उनके दूरभाष पर संपर्क किया गया और उनसे पूछा गया कि उन्हें श्री आर. एल. गुप्ता, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना प्राप्त हुई है अथवा नहीं, इस पर अपीलकर्ता ने सूचित किया कि उन्हें सूचना प्राप्त हो चुकी है, परन्तु वे प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं।
2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री आर.एल. गुप्ता, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

अचला सिन्हा
(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि : 08/05/16

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री आर.एल. गुप्ता, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

